न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2870–दो/12 विरूद्ध **आदेश** दिनांक 20–6–2012 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला **रीवा** प्रकरण कमांक 6/अ–12/09–10.

.....

लक्ष्मी प्रसाद सोनी तनय स्व0 श्री राम जियावन सोनी
पेशा व्यापार, उम्र 70 वर्ष निवासी पाण्डेन टोला रीवा
तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 शासन मध्य प्रदेश
2 कुसुम पत्नी सोमेश्वर मुड़हा,
(केवट) निवासी पचमठा, तहसील हुजूर
जिला रीवा म0 प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री रजनीश मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0एल0 सोनी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2-12-2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–6–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में भूमि खसरा कमांक 152 रकवा 2.04 एकड, जनरल नंबर 553 स्थित पचमठा का स्वत्वधारी एवं आधिपत्यधारी है, उक्त भूमि का सीमाकंन कराये जाने हेतु संहिता की धारा 129 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया । तहसीलदार द्वारा 10–1–2006 को राजस्व निरीक्षक, गिर्द को सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । 20–7–2010 को आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण खारिज किया गया । मूल प्रकरण पुर्नस्थापन के लिये आवेदक द्वारा संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 20–6–2012 को आदेश पारित किया गया कि सीमाकंन हो चुका है, आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज की । इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमाकंन की कार्यवाही में चूँकि सरहदी कृषकों को बगैर सूचना दिये और बगैर बिन्दुओं को चिन्हित किये आधार बनाया गया है, अतः वह निरस्त योग्य है तथा निवेदन किया गया कि पुनः सीमाकंन करने के लिये अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाये ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया गया कि प्रकरण में सरहदी कृषकों को सूचना देना आवश्यक नहीं था, क्योंकि दिनांक 10–1–2006 को केवल सर्वे नंबर 152 के सीमाकंन के लिये आवेदन दिया गया था। इस भूमि के दो तरफ पश्चिम एवं दक्षिण में आवेदक की स्वंय की भूमि है । उत्तर में सड़क है तथा पूर्व में अनावेदक की भूमि है । इस प्रकार उनके द्वारा तर्क किया गया कि सीमाकंन की कार्यवाही विधिवत की गई है तथा तहसीलदार का आदेश सही है।

5/ प्रतिउत्तर में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा कहा गया कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 20–6–2012 अत्यन्त संक्षिप्त एवं बोलता हुआ आदेश नहीं है । अतः पुनः सीमाकंन कराये जाने हेतु निवेदन किया गया ।

6/ अधिवक्ताओं के तर्कों के प्रकाश में एवं प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरान्त मेरे द्वारा निम्न बाते पाई गई है :–

1 अनावेदक कुसुम द्वारा सीमाकंन की सूचना दिनांक 5–12–2007 पर अंगुठा निशान लगाया है तथा वही अंगुठा निशान उसने सीमाकंन के स्थल पंचनामा दिनांक 16–1–2008 पर भी लगाया है ।

2 प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रकट हो रहा है कि सीमांकन का आवेदन भी आवेदक द्वारा स्वंय ही दिया गया था तथा सीमाकंन के दौरान आवेदक का प्रतिनिधि उपस्थित था, जिसके समक्ष विधिवत सीमांकन किया गया है ।

3 इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 14–2–2008 में यह लिखा गया है कि पत्थर गडवा कर तथा जरीब से नापकर कब्जा ढूढा गया । इस प्रकार परीक्षण एवं विवेचना उपरान्त यह पाया जाता है कि सीमाकंन की कार्यवाही सही प्रकार से की गई है तथा तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–6–2012 को परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–6–2012 स्थिर रखा जाता है । यह निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस भेजा जाये । पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दाखिल रि0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर